

कार्यालय:— उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक:— उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0 / 472-73 / 2016-17 दिनांक : 01 मार्च, 2017

विज्ञप्ति

द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजुकेशन (डी0एल0एड0) प्रवेश परीक्षा 2016 से सम्बन्धित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरते समय त्रुटिपूर्ण अंकना की गयी है। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची त्रुटिवार परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर इस आशय से प्रदर्शित की जा रही है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी त्रुटि का निवारण करवा लें। अभ्यर्थी त्रुटि निवारण हेतु प्रत्यावेदन के साथ परीक्षा आवेदन पत्र (ओ0एम0आर0) की छायाप्रति एवं वांछित साक्ष्यों सहित दिनांक 15.03.2017 को सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित तिथि तक यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि का निवारण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।


01/03/2016
सचिव,


उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2016

त्रुटि पूर्ण आवेदन वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना

- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'जाति अंकित नहीं है' की सूची में है, वे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें सामान्य जाति में मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'शैक्षिक योग्यता वर्ग अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित' की सूची में है, वे स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'मूल/स्थायी निवासी नहीं अथवा त्रुटिपूर्ण अंकना' की सूची में है वे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'गृह जनपद कोड अंकित नहीं अथवा त्रुटिपूर्ण अंकना' की सूची में है वे अपने गृह जनपद संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'स्नातक योग्यता अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण' की सूची में है, वे स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'सेवायोजन में पंजीकरण अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकना' की सूची में है, वे सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सूच्य है कि अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत/नवीनीकृत हो।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम 'आयु अधिक/कम अथवा जन्मतिथि की अंकना त्रुटिपूर्ण' की सूची में है, वे हाई स्कूल प्रमाण प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सूच्य है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2017 को 19 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो (आरक्षित वर्ग को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी)।
- आवेदन पत्र का मूल्य निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए रु0 100.00, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 175.00 था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन किए जाने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है यदि वे इस संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो साक्ष्य सहित पक्ष प्रस्तुत करें।
- जिन आवेदकों द्वारा 'क्षैतिज आरक्षण श्रेणी' में भूतपूर्व सैनिक (कोड 2) अंकित किया है उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिक (स्वंय) होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। अतः ऐसे आवेदक तत् संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

कतिपय आवेदकों के नाम एक से अधिक सूची में हो सकते हैं, अतः अभ्यर्थी सभी सूचियों का अवलोकन कर लें एवं तदनुसार 15 मार्च 2017 तक आपत्ति का निराकरण कर लें। उक्तानुसार प्रत्यावेदन प्राप्त न होने के कारण आवेदक के अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।


01/03/17
सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

✓ रामनगर, नैनीताल।